

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 593वीं बैठक दिनांक 07/09/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9284/2022 M/s Balaji White Cement Pvt. Ltd, Shri Rishab Mittal, Authorized Person, 11/12, Dun Market, Jabalpur Road, Bargawan, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Proposed Clinker Grinding Unit (500 TPD) Project at Village - Bhaganwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni, MP

प्रकरण क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट क्षमता 500 टन/दिन के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति बावत् ऑन लाईन प्राप्त हुआ है जो गाँव भगनवाड़ा तहसील बड़वारा जिला कटनी में प्रस्तावित है ।

आज दिनांक 07/09/22 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आकाश भोयर उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि यह प्रकरण सीमेंट उत्पादन से संबंधित है किंतु त्रुटिवश प्रोजेक्ट का नाम क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट लिख गया है । परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि प्रकरण के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों जैसे : पीएफआर एवं डीपीआर इत्यादि में सीमेंट उत्पादन से संबंधित विवरण दिए गए हैं तथा उसी के आधार पर रॉ-मटेरियल, प्रोजेक्ट ले-आउट इत्यादि के विवरण भी अपलोड किए गए हैं । हमारे द्वारा की गई इस त्रुटि हेतु हमें खेद है तथा समिति से निवेदन है कि हमें पुनरीक्षित दस्तावेज ए.डी.एस. के माध्यम से अपलोड करने की अनुमति प्रदान की जाये । समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध को मान्य करते हुए उन्हें पुनरीक्षित दस्तावेज अपलोड करने हेतु ए.डी.एस. जारी किया जाये ।

2. Case No 9280/2022 Shri Rajul Chourasia, Behind Mandir Masjid, Azad Ward, Hatta, Dist. Damoh, MP - 470775, Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand Mine in an area of 1.0 ha. (Stone - 12000 cum per annum, M-Sand - 8000 cum per annum) (Khasra No. 296, 297) Village - Taton, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone and M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 296, 297) Village - Taton, Tehsil -

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

Bakaswaha, Dist. Chhatarpur (MP) 1.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1394 दिनांक 10/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान कार्यरत है तथा इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 04.879 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाईन स्वीकार कर परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ है।

आज दिनांक 07/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजुल चौरसिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 326 दिनांक 09/05/22 द्वारा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन किया गया है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज नहीं था। उक्त अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जिन खदानों का नाम छूट गया था, उन्हें खनि अधिकारी, जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 1544 दिनांक 08/07/22 द्वारा सदस्य सचिव, सिया को पूर्व में अनुमोदित डीएसआर में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके सरल क्रमांक-01 इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में दक्षिण-पूर्व दिशा में 90 मीटर पर कच्चा रोड़ है। इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको इसी स्थिति में लीज आवंटित हुई है तथा यह पिट ऊपर से मिट्टी निकालकर पानी भरने हेतु खोदा गया है तथा निकाली गई मिट्टी भी उसी के चारों ओर जमा है। यह गढ़वा हमको लीज आवंटन के पहले का है तथा फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है जिसमें पानी भरा हुआ दिख रहा है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह बताया गया कि बीएसके तकनीकी का एम-सेंट प्लांट प्रस्तावित है जिसमें दूषित जल को सेटलिंग के पश्चात् पुर्नउपयोग किया जायेगा तथा बची हुई स्जल को खनन क्षेत्र में अपवहित किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फलेग स्टोन – 12,000 एवं एम. सेंड – 8000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.96 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
-----------------------------------	----------------

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

ग्राम— गढ़ी सेमरा के शासकीय हाई स्कूल में रंगाई पुताई, फर्नीचर (10 बेंच 8 लकड़ी की कुर्सीया और 2 अलमारी)	70,000
---	--------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	सिस्सू, चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
ग्राम— गढ़ी सेमरा के ग्राम वासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
योग		1200

3. **Case No 9283/2022 M/s Maruti Nandan Stones and Minerals, Partner, Shri Devendra Dhanoriya, Ward No. 27, Shrivastava Colony, Lalbag, Dist. Chhindwara, MP - 480001, Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.0 ha. (28500 cum per annum) (Khasra No. 118) Village - Pipariya Birsa, Tehsil - Chhindwara, Dist. Chhindwara, MP**

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 118) Village - Pipariya Birsa, Tehsil - Chhindwara, Dist. Chhindwara, (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 593वीं बैठक दिनांक 07/09/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

4. Case No 8897/2021 Shri Arun Tyagi, Owner, House no. -213, EWS, North T.T. Nagar, Dist. Bhopal, MP - 462003 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (9060 Cum per annum) (Khasra No. 588/1/1k), Village - Khauri, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) RQP Shri Shirish Deulkar, Jabalpur

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 588/1/1k), Village - Khauri, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by in SEAC meeting 544th dated 28/01/22 by RQP Shri Shirish Deulkar on behalf of PP. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR, EMP & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office (Ekal Praman-patra) letter No. 3076 dated 27/10/21 has reported that there are 02 (Stone) more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 8.00 ha., including this mine.

PP submitted that since it is a Murrum Quarry, no blasting and drilling is proposed. Mining shall be through Opencast Semi Mechanized Method. As per Google image based on online KML file uploaded by PP it was observed that lease is partially excavated. PP submitted that as per Ekal Praman-patra 02 mines of stone are operating or proposed within 500 m. Around 500 meters following sensitive features were observed of the lease area:

Sensitive Features	Approximate aerial distance from the lease area in meters	Direction	Remarks
Kachha Road	66	South	Three rows of plantation .
Natural drain	395	South	Provision of Garland drain & settling tanks.

After it was observed that the lease area is already excavated hence, committee asked PP to submit response on following issue then after their case shall be further considered.

1. Revised M.O. certificate regarding mine is excavated.

प्रकरण सेक की 556वीं बैठक दिनांक 02/05/22 में भारत सरकार के ओएम दिनांक 15/03/21 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी 30 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोर्ड

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

नहीं करने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया को भेजा गया था। उक्त प्रकरण को सिया के पत्र क्रमांक 1336 दिनांक 04/08/22 द्वारा रिलिस्ट कर सेक परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को सेक की 593वीं बैठक में रखा गया। परियोजना प्रस्तावक श्री अरुण त्यागी ऑनलाईन उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 2155 दिनांक 07/06/22 प्राप्त कर ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खनिज अधिकारी ने यह बताया है कि आवंटित क्षेत्र में किया गया उत्खनन कार्य पूर्व का है जो पंचायत कार्य हेतु किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरुम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के पाया गया कि परियोजन प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 741वीं बैठक दिनांक 17/08/22 में एक अन्य प्रकरण (क्रमांक 9220/2022) में सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में की गई अनुशंसाओं उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

“समिति ने पाया कि सागर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हेतु अभी तक अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपलोड किया गया है, जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है”।

“राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सेक द्वारा 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 एवं 582वीं बैठक दिनांक 29/06/22 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर एवं तहसीलदार से जानकारी चाही गई थी जो कि प्राप्त हो गई है। उक्त प्रकरण 15 जून, 2022 से पहले का स्वीकृत होकर पंजीबद्ध है। अतः उक्त प्रकरण वृक्षारोपण एवं सीईआर के साथ 07 दिवस में अनुशंसित किये जाने हेतु सेक को पुनः अग्रेषित किया जाये”।

अतः मेरा प्रकरण भी उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में (15 जून, 2022 से पहले का स्वीकृत होकर पंजीबद्ध होने के कारण) विचार किये जाने का अनुरोध है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 741वीं बैठक दिनांक 17/08/22 में एक अन्य प्रकरण (क्रमांक 9220/2022) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि समिति की 544वीं बैठक दिनांक 28/01/22 में इस प्रकरण का पर्यावरणीय संवेदनशीलता परीक्षण किया जा चुका है अतः समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम – 9060 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.90 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.09 लाख प्रति वर्ष।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.95 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1. विद्यालय के लिए प्रिंटर के साथ कंप्यूटर डेस्कटॉप ।	65,000
2. 5 बिजली के पंखे, 10 नंबर ब्लैक बोर्ड, 4 पीसी कैरम बोर्ड (स्कूल की मांग के अनुसार) और स्टडी टूर	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	कटंग बांस, खमार, सिस्सू, अमलतास, खिरनी, इमली, नीम, कालासिरस, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1000
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	अमलतास, खिरनी, इमली, नीम, जामुन, कालासिरस, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	500
ग्राम खौरी के ग्राम वासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	500
योग		2000

5. **Case No 9220/2022 M/s Devi Construction, Prop., Shri Jitendra Kumar Pateria, Village - Berkheri, Post - Sahawan, Tehsil - Banda, Dist. Sagar, MP - 470337, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 564), Village - Berkheri, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 966 दिनांक 25/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 170 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर पक्की रोड़ है। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर स्केटर्ड आवास हैं। आवंटित क्षेत्र प्राकृतिक जल धारा से निर्मित गुली पर स्थित है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए:-

- ✓ नॉन माईनिंग क्षेत्र (लीज के दक्षिणी-पूर्वी भाग) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी./वृक्षारोपण/सीईआर योजना।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन दिनांक 24/6/22 को प्रस्तुत कर दी गई है।

प्रकरण पूर्व में सेक की 582वीं बैठक दिनांक 29/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के संज्ञान में लाया गया कि सिया के पत्र क्रमांक 862 दिनांक 28/06/22 के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 9920/2022 ग्राम बनखेड़ी तहसील बंडा जिला सागर, परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुमार पटेरिया के नाम से स्वीकृत खदान के संबंध में एक शिकायत उनको प्राप्त हुई है, जो उनके द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से निराकरण हेतु सेक को प्रेषित की गई है। प्राप्त शिकायत का समिति ने अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी राजा सिंह, ग्राम बनखेड़ी तहसील बंडा जिला सागर ने अपने पत्र क्रमांक निल दिनांक निल के द्वारा शिकायत की है कि -

“सिया केस केस संख्या 9220/22 से पर्यावरण की अनुमति हेतु आवेदन किया गया है जो कि स्वीकृति योग्य नहीं है 150 मीटर के अंदर आदिवासी रहवासी क्षेत्र स्थित है जिससे लोगों के घरों पर खदान से पत्थर एवं धूल आएगी जिसका लोगों की जीवनी पर बुरा असर होगा कृपया खदान की अनुमति किसी अन्य क्षेत्र में दी जाये उक्त जगह पर नहीं दी जाये।

समिति ने उपरोक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में यह पाया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र (क्रमांक 966 दिनांक 25/05/22) अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई मानव बसाहट नहीं है किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्केटर्ड आवास स्थित हैं जो प्रश्नाधीन खदान से 200 मीटर से अधिक दूरी पर परिलक्षित हो रहे हैं। अतः समिति ने यह अनुशंसा की कि उपरोक्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार) या प्रभारी, अधिकारी, कार्यालय

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

कलेक्टर, सागर से यह प्रमाणिक जानकारी 15 दिनों के अंदर प्राप्त की जाये कि क्या प्रश्नाधीन खदान के 150 मीटर के अंदर कोई आदिवासी रहवासी क्षेत्र स्थित है जिससे लोगों के घरों पर खदान से पत्थर एवं धूल आएगी तथा उन लोगों की जीवनी पर बुरा असर होगा । उपरोक्तानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकरण में विचार किया जावेगा ।

प्रकरण सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन क्येरी रिप्लाय परिवेश पोर्टल के माध्यम से दिनांक 21/07/22 को प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने सूचित किया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा सागर मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 1083 खनिज 2022 सागर दिनांक 19.07.2022, कार्यालय तहसीलदार बंडा जिला सागर के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 243 बंडा दिनांक 18.07. 2022 एवं पटवारी द्वारा संलग्न मौका पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार यह प्रमाणित किया गया है की उक्त उत्खनिपट्टे से आदिवासी टोला 350 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं टोले से अलग से मकान जो की उत्खनिपट्टे से 245 मीटर पर बना है। अतः उत्खनिपट्टे के 150 मीटर में किसी आदिवासी का रहवास नहीं है।

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सागर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हेतु अभी तक अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपलोड किया गया है जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

सिया के पत्र क्रमांक 1428 दिनांक 24/08/22 द्वारा प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 741वीं बैठक दिनांक 17/08/22 में सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में की गई अनुशंसाओं उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

“समिति ने पाया कि सागर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हेतु अभी तक अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपलोड किया गया है, जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है” ।

“राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सेक द्वारा 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 एवं 582वीं बैठक दिनांक 29/06/22 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर एवं तहसीलदार से जानकारी चाही गई थी जो कि प्राप्त हो गई है । उक्त प्रकरण 15 जून, 2022 से पहले का स्वीकृत होकर पंजीबद्ध है । अतः उक्त प्रकरण वृक्षारोपण एवं सीईआर के साथ 07 दिवस में अनुशंसित किये जाने हेतु सेक को पुनः अग्रेषित किया जाये” ।

उपरोक्तानुसार प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के विचारार्थ रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुमार पटेरिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। समिति ने यह भी पाया कि सागर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की 592वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में अनुमोदन हेतु अनुशंसा सिया को भेजी गई है, जिसमें भी इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है । परियोजना

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा समिति द्वारा वांछित जानकारियाँ प्रस्तुत की जा चुकी है तथा अनुरोध किया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 741वीं बैठक दिनांक 17/08/22 में लिए गए निर्णय के अनुसार इस प्रकरण में कार्यवाही की जाये। समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में इस प्रकरण का पर्यावरणीय संवेदनशीलता का परीक्षण किया जा चुका है तथा परियोजना प्रस्तावक ने वृक्षारोपण एवं सीईआर संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर दी है, अतः समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु.10.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.84 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाय :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
2 व्हील चेयर्स बेरखेड़ी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्राम बेरखेड़ी के आंगनवाड़ी केंद्र में भोजन बनाने, खाने एवं रखने हेतु बर्तन एवं बच्चों के लिए खिलोने उपलब्ध करवाए जाएंगे।	15,000 10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	800
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊँचाई न्यूनतम 1 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	500
ग्राम वासियों में वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	800
ग्राम के विद्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करंज, मोलश्री, पुत्रंजीवा, सप्तपर्णी, नीम, पीपल, चिरोल, आदि।	220
ग्राम के प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल, करंज, आवला आदि।	80
योग		2400

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

6. Case No 9278/2022 Shri Alok Jain S/o Shri Chandrabhan Jain, Ward No. 5, Sagar Road, Near Bus Stand, Ghuwara, Budour Ghaura, Dist. Chhatarpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.182 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 72/1, 73/1, 73/3) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 72/1, 73/1, 73/3) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, (MP) 1.182 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 07/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1601 दिनांक 19/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.546 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण नहीं है किंतु खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1544 दिनांक 03/7/22 के माध्यम से सूचित किया है कि पूर्व की सूची में उल्लेखित नहीं है तथा इसको पुनरीक्षित सूची में अन्य खदानों के साथ शामिल किया जाने का प्रस्ताव दिया है। समिति ने चर्चा कर अनुशांसा की कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 320 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 745 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये। प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण भाग में एक पिट दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है जो अनुमोदित खनन योजना के सरफेस मैप पर दिखाया गया है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की समिति अनुशांसा करती है :-

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 320 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 745 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. Case No 9268/2022 PRAGNA NAYAK, Owner Village- Gaduli, Tehsil- Meghnagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh-457779 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (19950 cum per annum) (Khasra No. 1043) Village - Morjhari, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua, (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1043) Village - Morjhari, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua, (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 732 दिनांक 08/6/22 द्वारा झाबुआ जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोड़कर) अनुमोदित की गई है किंतु जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा इस प्रकरण में (9268/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 04/08/22) में उनकी 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में लिये गये निर्णय के अनुरूप प्रकरण एप्राइजल हेतु सेक को वापिस भेजा ।

प्रकरण सेक की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

आज दिनांक 07/09/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रज्ञा नायक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 40 दिनांक 18/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित है जिसका रकबा 2.0 हे. है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.50 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 04/08/22) में उनकी 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में निम्नानुसार निर्णय लिया है :-

“राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा । पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये”।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 द्वारा लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि यह खदान पहाड़ के ऊपर स्थित है जिसके पश्चिम दिशा में एक अन्य खदान एवं केशर स्थित है । खदान क्षेत्र से सरफेस ड्रेन निकल रहे हैं, जिसके संदर्भ में

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के माध्यम से चेनलाईज किया जायेगा तथा एकत्रित पानी को सेटलिंग के पश्चात् ही निस्तारित किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 19,950 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.83 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	4. राशि रु. में
ग्राम मोरझरी के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा ।	5. 70ए000
योग	70,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम --वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1500
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	सिस्सू, नीम, करंज, चिरौल, देसी आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	200
मोरझरी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, सीताफल मुनगा, जामुन, अमरुद इत्यादि ।	1280
शासकीय विद्यालय मोरझरी में	कदंब, सीताफल अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि ।	20
योग		3000

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत जानकारी पर चर्चा –

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

1. Case No. – 6417/2019 Shri Rana Pratap Singh, R/o Suryanchal Garhi, VPO Ghuwara, Dist. Chhatarpur, MP. Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 18.21 ha. (77,010 TPA) (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP).

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 1008), Village - Tigoda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 18.21 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 389वीं दिनांक 09/08/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

यह प्रकरण सेक की पूर्व 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी.. (सम्पूर्ण खनन क्षेत्र में 2.10 मीटर ऊँचाई की चैनलिंग-फेंसिंग का प्रस्ताव तथा निकट के अभ्यारण्य में वाइल्ड लाईफ हेबीटाट डेवलपमेंट हेतु) योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 10/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-77,010 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 83.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 09.91 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.25 लाख :-

क्रं.	सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
1.	शासकीय प्राथमिक शाला तिगोडा में 2 बेंच व 05 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000
2.	ग्राम तिगोडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	1,00,000

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

योग	1,25,000
-----	----------

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 21,852 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	1. बैरियर जोन 2. पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि पर 3. पट्टा क्षेत्र के कोने पर (प्रथम वर्ष)	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3,000 4,000 3,000
2	गैर खनन क्षेत्र (द्वितीय वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5642
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु ग्राम) पंचायत तिगोडा (प्रथम वर्ष)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कवीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500
4	ग्राम पंचायत तिगोडा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में (द्वितीय वर्ष)	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1710
कुल			21,852

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वीं बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वीं बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए ।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन,

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वैरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 24/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है किंतु सागर जिले की नवीन सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति की 591वीं बैठक दिनांक 06/09/2022 को परीक्षण हेतु नियत थी जिसके अंतिम पेज के सरल क्रमांक-03 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

2. Case No 9223/2022 M/s Jirati Murrum Suppliers, Shri Shubhash Jirati & Shri Sadik Khan, situated near Village - Chandawad, Tehsil - Dharmपुरी, District - Dhar, MP Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 129/1), Village - Chandawad, Tehsil - Dharmपुरी, Dist. Dhar (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 129/1), Village - Chandawad, Tehsil - Dharmपुरी, Dist. Dhar (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

यह प्रकरण सेक की पूर्व 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 24/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरुम — 10,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 09.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.60 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
चन्दवाड गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल बेड दिए जायेंगे। 20),000 X 2) तथा स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी से परामर्श करके चिकित्सीय उपकरण दिया जायेगा (50,000)	90,000
योग	90,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में तीन लाइनो में किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	500

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1400
Total			2400

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 735वीं बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वीं बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है। सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वैरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 25/08/22 को अपलोड कर दिया गया है।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, उसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है किंतु सेक की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/22 को धार जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसित है, जिसके पेज नं. 49 के सरल क्रमांक-8 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 581वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाय ।

3. Case No. – 6376/2019 M/s Jujawal Marble, 907/1, Badi Omti, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 9.818 ha. (Granite - 5246 cum per annum and Saleable waste material - 28480 cum per annum) (Khasra No. 2700, 2702, 2703/1, 2704, 2705, 2707, 2708, 2711/1, 2711/2, 2706, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715/1, 2716/1, 2664/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2700, 2702, 2703/1, 2704, 2705, 2707, 2708, 2711/1, 2711/2, 2706, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715/1, 2716/1, 2664/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 9.818 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 385वीं दिनांक 12/07/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

यह प्रकरण सेक की पूर्व 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी ।
- ✓ आवंटित खदान निजी भूमि व शासकीय दोनों पर है, अतः विवरण दें कितना भाग निजी भूमि पर एवं कितना भाग शासकीय भूमि पर खसरा नं. सहित ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट – 5246 घनमीटर/वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट मटेरियल - 28480 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 45.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 19.09 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 40.00 लाख :-

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	Plan	Activity with Budget
1.	Provision of infrastructure support to the primary school	One kitchen room with platform (10feet X 10Feet), 2 Toilet at Govt. Primary School, Chilpa with facility of water through bore well at School.- 5.00 Lacs
2	Provision of drinking water facility at village Semarwar	Drinking water supply through tanker - 15.00 lacs & 3.00 lacs per year recurring
3	To adopt one anganwadi center of village Semarwar and Pipariya Tola	To provide food suppliments, toys, utensils etc 10.00 lacs Capital and 3.00lacs per year recurring
4	Maintenance of road	Maintenance of village road 2km@2lac per km- 4.00lacs
	Total	30 Lacs – Capital, 10.00lacs per year recurring

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 13920 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा :-

Location	Time line	Species	Number	Remark
Along with barrier zone having area of 2307m x 7.5m = 1.7303 sq	1 st & 2 nd Year	Neem, Kastar, Babul, Chirol, Khamar and other local species etc. Seed of Subabul, & locally available species.	3000	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility & Over heap and along the

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

mtrs		Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs		garland drain
Over backfilled and bench area	Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, Kastar, Neem, Chirol, Katang Bans, Khamar, and other local species etc.	7920	Within lease area which will be fenced
Transportation road	(Minimum 01 meter high)	Neem, Kastar, Babul, Chirol, Jangal Jalebi, Khamar and other local species etc.	2000	With protection.
For village distribution at Semarwar, Chilpa	1 st and 2 nd year	Kathal, Bans, Karanj, Munga, Neeem, leman, Mango Sitafal, Jamun and other local species etc.	2000	Height of 3 to 4ft saplings
		Total	13920	
Casualty Replacement : 2 nd Year to 5 th Year Maintenance Operation : 2 nd year to Lease Period				

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है। सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 30/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

4. **Case No. – 6534/2019 M/s Jabalpur Ispat Pvt. Ltd, 907/1, Badi Omti, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 7.350 ha. (Granite-3,290 & Sallable waste material-23,043 cum per annum) (Khasra No. 2678, 2679, 2680, 2683/2, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2722/1, 2722/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP). M/s. Creative Enviro Services, Bhopal**

This is case of Granite Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2678, 2679, 2680, 2683/2, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2722/1, 2722/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 7.350 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 401वीं दिनांक 01/11/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

यह प्रकरण सेक की पूर्व 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी ।
- ✓ आवंटित खदान निजी भूमि व शासकीय दोनों पर है, अतः विवरण दें कितना भाग निजी भूमि पर एवं कितना भाग शासकीय भूमि पर खसरा नं. सहित ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 17/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट – 3290 घनमीटर/वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट मटेरियल – 23043 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 44.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 18.03 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 40.00 लाख :-

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	Plan	Activity with Budget
1.	Provision of infrastructure support to the primary school	One kitchen room with platform (10feet X 10Feet), 2 Toilet at Govt. Primary School, Chilpa with facility of water through bore well at School.- 5.00 Lacs
2	Provision of drinking water facility at village Semarwar	Drinking water supply through tanker - 15.00 lacs & 3.00 lacs per year recurring
3	Provision of Ambulance at PHC – Funga Blck	To provide one ambulance free of cost for nearby villages i.e. Semarwar, Chilpa, Dhanpuri etc. - 10.00 lacs Capital and 3.00lacs per year recurring
4	Maintenance of road	Maintenance of village road 2km@2lac per km- 4.00lacs

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

	Total	30 Lacs – Capital, 10.00lacs per year recurring
--	--------------	--

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 14000 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

Location	Time line	Species	Number	Remark
Along with barrier zone having area of 1280m x 7.5m = 9600 sq mtrs	1 st & 2 nd Year	Karanj, Neem, Kastar, Babul, Chirol, Khamar and other local species etc. Seed of Subabul, & locally available species Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	2000	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility & Over heap and along the garland drain
Over backfilled and bench area	Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, Kastar, Neem, Chirol, Bans, Khamar, and other local species etc.	8500	Within lease area which will be fenced
Transportation road	(Minimum 01 meter hight)	Neem, Kastar, Babul, Chirol, Jangal Jalebi, Khamar and other local species etc.	1500	With protection.
For village distribution at Semarwar, Chilpa	1 st and 2 nd year	Kathal, Bans, Karanj, Munga, Neeem, leman, Mango Sitafal, Jamun and other local species etc.	2000	Height of 3 to 4ft saplings
		Total	14000	
Casualty Replacement : 2 nd Year to 5 th Year Maintenance Operation : 2 nd year to Lease Period				

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है ।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए ।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निधारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 30/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाय ।

5. Case No 9225/2022 Shri Ganesh Patidar Owner, 697, Village - Gavlipalasiya, Tehsil - Mahu, Dist. Indore, MP - 453441, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.028 ha. (10290 Cum per annum) (Khasra No. 1304/1, 1304/2), Village - Gavlipalasiya, Tehsil - Mahu, Dist. Indore (MP)

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1304/1, 1304/2), Village - Gavlipalasiya, Tehsil - Mahu, Dist. Indore (MP) 1.028 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

यह प्रकरण सेक की पूर्व 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 369 दिनांक 08/2/2022 की फोटो प्रति ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सीईआर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 23/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,290 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.65 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
श्री राधाकृष्ण गौशाला महुँ में पेयजल व्यवस्था एवं छायादार वृक्षारोपण ।	1,00,000
योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	नीम, सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य प्रजातियाँ।	1100
2	परिवहन मार्ग तक (पेड़ों की ऊंचाई	नीम, करंज, चिरोल, खमेर एवं अन्य प्रजातियाँ।	100

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

	न्यूनतम 1 मीटर)		
		कुल वृक्षारोपण	1200

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 735वीं बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वीं बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है। सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वैरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण सेक की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

है, जिमसे इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र दिनांक 04/05/22 अनुसार जिला डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2016-17 में बनी है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरान्त नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी। इंदौर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक को अभी परीक्षण हेतु अप्राप्त है।

प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड की गई जानकारी अपूर्ण है, अतः यह प्रकरण में सेक की 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 में प्रस्तुत आफलाईन जानकारी को प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पुनः ए.डी.एस. जारी किया जाये।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारियों को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/08/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 580वीं बैठक दिनांक 23/06/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये।

6. Case No 9137/2022 Shri Shiv Narayan Malviya, Owner, Village - Lagsari, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

यह प्रकरण सेक की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 में प्रस्तुत हुआ था। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-17 में फ्लॉई एश दिखाई गई है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
- ✓ खदान के उत्तरी भाग से 10 मीटर की दूरी पर नाला निकल रहा है, अतः 40 मीटर का सेट-बैक नॉन माइनिंग छोड़ा जाये।
- ✓ लीज क्षेत्र में 02 पेड़ लगे हैं, जिन्हें काटा जाना प्रस्तावित किया गया है, अतः उसके एवज में उसी प्रजाति के 20 अतिरिक्त पेड़ों के साथ पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.एस.आर. योजना।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-10,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.73 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.85 लाख :-

क्र.	प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में मेडोनिक्स का इसीजी मशीन के साथ रिपोर्ट	50,000/-
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टाण्डा में गोदरेज का ए सी 1. 5 टन	35000/-
	कुल	85,000
संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा।		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

क्रमांक	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन	नीम, सीताफल, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	250
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल आदि ट्री गार्ड सहित।	550
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	400
Total			1200

सिया की 726वीं बैठक दिनांक 25/05/22 में प्रकरण में 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल खदानों का रकबा 5 हे. से अधिक हो रहा है, जिससे प्रस्तावित प्रकरण

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

बी-1 श्रेणी में होना प्रतीत होता है । अतः उक्त प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने प्रकरण के अवलोकन किया और पाया कि प्रकरण कि :

1. बी-1 श्रेणी का है या बी-2 श्रेणी का इसका निर्धारण सिया द्वारा ऑन लाईन आवेदन स्वीकार करते समय ही कर दिया जाता है तथा किसी भी परिस्थिति में सेक द्वारा श्रेणी परिवर्तन बी-1 से बी-2 या बी-2 से बी-1 नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बी-1 श्रेणी के प्रकरण आवेदन स्वीकार करने के उपरांत टॉर की श्रेणी में प्राप्त होते हैं । अतः सिया के पास उपलब्ध सभी संसाधनों के माध्यम से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन स्वीकार करते समय ही इस बात की अच्छी तरह से जाँच/परख करली जानी चाहिए कि प्रकरण बी-1 श्रेणी का है या बी-2 श्रेणी का । यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/अपलोडिड गूगल इमेज के अनुसार कोई भी संशय की स्थिति निर्मित हो रही हो तो इस बावत् स्पष्टीकरण (क्लेरिफिकेशन) संबंधित अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त कर ही आवेदन स्वीकार किये जाने चाहिए ताकि प्रकरणों का निपटारा निर्धारित समयावधि में हो सके एक बार आवेदन स्वीकार करने के पश्चात् यदि कोई भी श्रेणी परिवर्तन करना है तो स्वीकृत आवेदन को निरस्त कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः आवेदन किये जाने की स्थिति में ही श्रेणी परिवर्तन संभव है ।
2. प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि यह प्रकरण (क्रमांक 9137/2022) सिया द्वारा श्रेणी बी-2 में ही स्वीकार कर सेक को एप्राईजल हेतु भेजा गया था ।
3. समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) जिला धार, म.प्र. द्वारा जारी एकल प्रमाण पर विश्वास कर अपनी अनुशंसा की जिसके अनुसार (कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) जिला धार, म.प्र. द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 471 दिनांक 29/03/22 अनुसार) प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत हैं, जिनका रकबा क्रमशः 02.00 हे. एवं 1.50. हे. । इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर तीनों खदानों का कुल रकबा 4.50 हे. होता है ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान से उपरोक्त दोनों खदानों के अतिरिक्त एक अन्य खदान 500 मीटर की दूरी से अधिक दूर (लगभग 525 मीटर की दूरी) है ।
5. सेक द्वारा वर्तमान में सिया से वर्तमान निर्देशानुसार सभी आवेदनों का परीक्षण ऑनलाईन किया जा रहा है तथा ऑन लाईन परीक्षण में अभी यह सुविधा नहीं है कि क्या इसी खदान के आसपास पूर्व में किसी अन्य खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई अथवा नहीं है । सेक द्वारा पत्र क्रमांक 33 दिनांक 25/2/22 (स्मरण पत्र क्रमांक 140 दिनांक 28/3/22) के माध्यम से संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को पत्र लिख कर प्रदेश

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों की स्थिति दर्शाने वाला डिजिटाइज्ड मैप (500 मीटर में क्लस्टर की स्थिति ज्ञात करने हेतु) चाहा गया था किंतु जो अभी तक अप्राप्त है ।

6. उपरोक्त से स्पष्ट है कि सेक द्वारा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जारी एकल प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर अपनी अनुशंसाये सिया को प्रस्तुत की जाती है तथा अन्य कोई विकल्प (जैसे जिले का डिजिटाइज्ड मैप जिस पर सभी आवंटित/प्रस्तावित खदानें चिह्नित हों) समिति के पास उपलब्ध नहीं है। यदि सक्षम प्राधिकारी से ही गलत जानकारी प्राप्त हो तो यह स्थिति ठीक नहीं है तथा इसकी विस्तृत जाँच की जाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कई अन्य प्रकरणों में निर्णय इन्हीं प्रमाण-पत्रों के आधार पर दिया जाता रहा है ।

अतः सेक की अनुशंसा है कि यह उपरोक्त स्थिति / जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर के संज्ञान में लाई जाकर इसका पूर्ण परीक्षण/जाँच कराई जाये तथा यदि गलत प्रमाण पत्र जिला स्तर से जारी हुआ है यह प्रमाणित हो तो संबंधित पर उचित कार्यवाही की अनुशंसा की जाये ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 735वीं बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वीं बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाइन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाइन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाइन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए ।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वैरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किये जा सकते हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाइन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निधारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड की गई है, जो अपूर्ण है, अतः इस प्रकरण में सेक की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 में प्रस्तुत आफलाईन जानकारी को प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पुनः ए.डी.एस. जारी किया जाये ।

समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22 को लिए गए निर्णय अनुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 31/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, उसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है किंतु सेक की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/22 को धार जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा भेजी गई है, जिसके पेज नं. 49 के सरल क्रमांक-9 पर इस खदान का विवरण दर्ज है ।

समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण सेक की पूर्व की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 एवं 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 में प्रस्तुत में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

7. Case No 8670/2021 M/s Mahadev Stone Crusher Industries, Shri Abhay Singh, Partner, 201, Tansen Nagar, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.332 ha. (23726 cum per annum) (Khasra No. 05), Village - Chirpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) M/s. Forest Environment and Climate Change Management Consultancy (FECCM), Pvt. Ltd. Bhopal, MP.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 05), Village - Chirpura, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.332 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 08/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

यह प्रकरण सेक की पूर्व 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 05/07/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 23,726 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु 08.99 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख :-

क्र.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
1	गाँव चिरपुरा के प्राथमरी स्कूल में व्हाइट वॉश, 02 सोलर लाईट तथा स्कूल की सड़क की मरम्मत ।	1,00,000
2	गाँव वालों की आवश्यकतानुसार 300 फलदार पौधों का वितरण ।	15,000
3.	गाँव वालों की स्वास्थ्य जाँच कैम्प ।	25,000
कुल		1,40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा:

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	400

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 07 सितम्बर 2022

2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, कदम, नीम, शीशम, करंज, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ । ट्री-गार्ड के साथ ।	400
3	स्कूल प्रांगण में	नीम, पीपल, करंज, कचनार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
4	ग्राम पंचायत भवन चिरपुरा और लटेरा में पौधा रोपड़ एवं ग्राम वासियों को बितरण	आम मुनगा कटहल नीबू एवं नीम	550
कुल			1600

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 735वीं बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वीं बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है । सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए ।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये । उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 24/08/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण समिति 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने ऑनलाईन पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 8821 दिनांक 18/08/21 में लेख किया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-17 में बनी है, उक्त उत्खनिपट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावेगा।

समिति ने पाया कि प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड की गई है, जो अपूर्ण है, अतः इस प्रकरण में 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 में प्रस्तुत ऑफलाईन जानकारी को प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पुनः ए.डी.एस. जारी किया जाये।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 01/09/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये।

8. Case No 9159/2022 M/s Vijay and Company, Partner Shri Anshuman Rai, Rai Bhawan, Katni Road, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, MP - 485771 Prior Environment Clearance for Stone / M-Sand Quarry in an area of 3.610 ha. (85500 Tonne per annum) (Khasra No. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP)

This is case of Stone / M-Sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1), Village - Tamoria, Tehsil - Maihar, Dist. Satna (MP) 3.610 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

यह प्रकरण सेक की पूर्व 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-4 में उल्लेखित खसरा नं. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1 और स्वीकृत लीज में उल्लेखित इन खसरों का 184/1 & 184/3 का उल्लेख नहीं है, अतः इन खसरों को फार्म-2 में सम्मिलित करते हुए रिवाइज फार्म-2 परियोजना प्रस्तावक से लिया जाना प्रस्तावित है।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-8.2(1) में स्टोन एवं एम-सेंड-85,500 टीपीए उत्पादन उल्लेखित है जबकि माइन प्लॉन page no. 12 में स्टोन-85,500 टीपीए प्रस्तावित है, परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-14.6 में Ground Water Table From 0.97 To 16.9, (डिस्ट्रिक्ट ग्राउण्ड वाटर इंफारमेशन बुकलेट अनुसार डेटा वर्ष 2012 का है), अतः परियोजना प्रस्तावक वर्तमान Ground Water Table डेटा उपलब्ध करायें ।
- ✓ एम-सेंड प्लांट की लोकेशन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप तथा एम-सेंड प्लांट का ले-आउट ।
- ✓ एम-सेंड प्लांट तकनीक, प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा, शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी., वृक्षारोपण एवं सी.एस.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 02/06/22 को अपलोड किया गया। प्रकरण आज बैठक क्रमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है क्योंकि रिवाइज फार्म-2 में जानकारी चाही गई थी किंतु परियोजना प्रस्तावक ने फार्म-2 के स्थान पर पी.एफ.आर. प्रस्तुत की है। अतः परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी पुनः प्राप्त की जाना प्रस्तावित है :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-4 में उल्लेखित खसरा नं. 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1 और स्वीकृत लीज में उल्लेखित इन खसरों का 184/1 & 184/3 का उल्लेख नहीं है, अतः इन खसरों को फार्म-2 में सम्मिलित करते हुए रिवाइज फार्म-2 परियोजना प्रस्तावक से लिया जाना प्रस्तावित है ।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-8.2(1) में स्टोन एवं एम-सेंड-85,500 टीपीए उत्पादन उल्लेखित है जबकि माइन प्लॉन page no. 12 में स्टोन-85,500 टीपीए प्रस्तावित है, परियोजना प्रस्तावक स्पष्ट करें ।
- ✓ एम-सेंड प्लांट तकनीक, प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा, शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 27/06/22 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/07/22 को परियोजना द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि उनके द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना में सेटलिंग टैंक एवं स्जल ड्राइंग बेड का प्रावधान किया गया है तथा पुनरीक्षित ई.एम.पी. प्रस्तुतीकरण में संलग्न है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन एवं एम-सेंड - 85,500 टन प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.83 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 07.84 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
• ग्राम तमोरिया के आँगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों	50,000/-

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

के खाना खाने के लिये बर्तन व 1वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	
• ग्राम तमोरिया के ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा।	20,000 /—
योग	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4340 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू, नीम, खमैर, चिरौल, पीपल, सेमल, जंगल जलेबी, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2400
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, देसी आम, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3	तमोरिया ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, आम, मुनगा इत्यादि।	1700
4.	शासकीय विद्यालय तमोरिया में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार इत्यादि।	40
कुल वृक्षारोपण			4340

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 में लिए गए निर्णय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाना अनिवार्य है। सेक द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेज को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा, के प्रकाश में सभी प्रकरणों में ए.डी.एस. करने बावत् प्रकरण सेक को प्रेषित किए गए।

सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षों की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन-पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नहीं रखता अर्थात् उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो) प्रस्तावित होते हैं से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार कर पूर्व में जिन प्रकरणों को सेक द्वारा परीक्षण का तकनीकी मतांकन/अनुशंसा की जा चुकी है, उन्हें मान्य करने हेतु सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये और भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते हैं।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक क्रमांक 739 दिनांक 29/07/22 तथा बैठक क्रमांक 740 दिनांक 30/07/22 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरणों में सेक द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से वे सहमत नहीं थे, अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में सेक द्वारा वांछित जानकारी एडीएस के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराई जाये ।

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 में सिया से प्राप्त उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा निधारित किया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों एवं अन्य ऐसे अन्य प्रकरणों में भी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत करने बावत् सेक द्वारा एडीएस जारी किया जाये। उक्त निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर दिनांक 23/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड कर दिया गया है ।

प्रकरण सेक की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22 को समिति के समक्ष रखा गया । परियोजना प्रस्तावक ने ऑनलाईन पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र पत्र दिनांक 23/10/22 में लेख किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में सभी प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उत्खनिपट्टे को सम्मिलित कर लिया जायेगा।

प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 23/08/22 को अपलोड की गई है, जो अपूर्ण है, अतः इस प्रकरण में सेक की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 में प्रस्तुत ऑफलाईन जानकारी को प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पुनः ए.डी.एस. जारी किया जाये ।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को परिवेश पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30/08/22 को ए.डी.एस. जारी किया गया, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त उल्लेखित जानकारी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन दिनांक 01/09/22 को अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण आज दिनांक 07/09/22 को समिति के समक्ष रखा गया । समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूँकि प्रकरण सेक की पूर्व की 584वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है, अतः पूर्व की अनुशंसानुसार से सहमत होते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किया जाये ।

9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, उज्जैन

अ. रेत खनिज, जिला उज्जैन -

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 591 st & 592 th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.
Approved /or recommend for Updation (if Updation)	Recommended for DSR Updation (Sand Mineral)

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

then elaborate issues)	
Deliberation in the SEAC 591st & 592th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22 दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :- 1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार " माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल " (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है। 2. विगत 03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेन्शियल नहीं दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेन्शियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा। 3. मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये। 4. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों (रेत खदानों एवं गौण खनिज) के Coordinate में लीजवार डिजिटाइज्ड (आर्क व्यू/गूगल अर्थ कम्पटेबल) सी.डी. में संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिव्यक्ति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मी. के अंदर अन्य स्थित अन्य खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एवं रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी श्री महेन्द्र पटेल को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 05/09/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला- उज्जैन (रेत खनिज) श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी। उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गयी। उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में प्रस्तावित की गई। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका नहीं तैयार की गयी है। रिपोर्ट में ली गई रेत की लीजवार लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई संबंधी जानकारी नहीं दी गयी है। 2. रेत खनिज का लीजवार मिनरल पोटेन्शियल घन मी. एवं मी.टन में नहीं दिया गया है। 3. लीजवार 03 वर्षों का मिनरल पोटेन्शियल नहीं दर्शाया गया है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Ujjain , No. 1538 dated 07.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

SEAC meeting dated 07/09/22

- समिति ने चर्चा के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पेज न0. 13-18 में दर्शित तालिका में माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेन्शियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेन्शियल दिया गया है जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेन्शियल विगत वर्षों में कितना रहा।
- मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।
- खदानों की गहराई डेसीमल के 2 से 3 भाग तक दी गई है जिसके अनुसार खनन कार्य किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है, अतः इसे पुनरीक्षित किया जाये। उपस्थित खनिज अधिकारी ने बताया कि वे आज ही पुनरीक्षित कर प्रस्तुत कर देंगे। अतः कल की बैठक दिनांक 07/09/22 के दौरान प्रस्तुतीकरण करने की अनुमति प्रदान करें। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि इस प्रकरण को 07/09/22 की निर्धारित बैठक में पुनः सुन लिया जाये।

आज दिनांक 07/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई विगत 03 वर्षों में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी पोटेन्शियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है भी दर्शाया गया है, खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला- उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1538. दिनांक 07/09/2022 के माध्यम से "माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है तथा मिनरल पोटेन्शियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल तथा विगत 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल तथा विगत वर्ष के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेन्शियल के विरुद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये। अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज)

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

ब. रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौण खनिज, जिला उज्जैन –

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 591 st & 592 th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Minor Mineral)
Deliberation in the SEAC 591 st & 592 th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22 अ. गौण खनिज, जिला उज्जैन – दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :- 1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नहीं दी गयी है (तालिका –13 पेज 28–53)। 2. पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किये गौण खनिज का ब्यौरा नहीं दिया गया है। 1. उज्जैन जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज-वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 05/09/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला- उज्जैन (गौण खनिज) उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गयी। उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में प्रस्तावित की गई। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:- 1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका-13 (पेज क्रमांक-29 से 55) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में हरित क्षेत्र के विकास खदानों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध किए गए वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received hard copy & soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Ujjain , No. 1538 dated 07.09.2022.
Hard Copy Soft Copy or	Hard copy & Soft copy.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

both	
SEAC meeting dated 07/09/22	● जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक-13.1 (पेज क्र0. 63 से 114) में खदान की जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है। ● जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी (Table 13) पेज क्र0. 28 से 62 में दी गई है एवं वृक्षारोपण में फोटोग्राफ्स का भी समावेश किया गया है।

आज दिनांक 07/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे ।

खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला- उज्जैन के पत्र क्र0 1538,दिनांक 07/09/22 के माध्यम लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, पौधों की प्रजातियों की खदानवार मात्रा, जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - i. Minable Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - I. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

593वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 07 सितम्बर 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained